

विद्यमान सं. पी. सं.—७७



बिहार गजट

बसाधारण प्रकाश

विद्यमान सं. पी. सं.—७७

16 चैत्र 1901 (श०)

(सं० पटना 357)

पटना, शुक्रवार, 6 अप्रिल 1979

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना ।

4 अप्रिल 1979

वि०स० पुस्त० 33177, संख्या 107—बिहार विधान-मंडल के माननीय सदस्यों पदाधिकारियों एवं स्थायी कर्मचारियों के सूचनार्थ बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय की संशोधित नियमावली अधिसूचित की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय के आदेश से,
श्यामदेव द्विवेद,
अवर-सचिव,

बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय, पटना ।

बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय नियमावली

1. (क) यह पुस्तकालय बिहार विधान-परिषद् तथा बिहार विधान-सभा के सदस्यों और दोनों सदनों के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा स्थायी कर्मचारियों के लिये है। सचिव की अनुमति से बिहार विधान-मंडल के प्रेस दीर्घा में प्रवेश की अनुमति पाये हुए मान्यत, प्राप्त प्रेस संवाददाताओं के लिए, उनके नियोजकों द्वारा दी गई गारंटी के बाद ग्रन्थालय की सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है।

(ख) बिहार विधान-मंडल के भूतपूर्व सदस्य बिहार विधान-सभा की लेखा शाखा में 100-00 (एक सौ रुपये) जमा कर ग्रन्थालय से दो पुस्तकें ले सकते हैं किन्तु एक सौ रुपये से अधिक राशि की पुस्तकें नहीं दी जायेगी।

2. जबतक प्रसंग या विषय से कोई दूसरा भाव इस नियमावली में न निकले

(क) "सदस्य का तात्पर्य बिहार विधान-परिषद् या बिहार विधान-सभा के किसी सदस्य से है,

(ख) "सचिव" का तात्पर्य बिहार विधान-परिषद् या बिहार विधान-सभा के सचिव अथवा इनके स्थान पर काम करनेवाले व्यक्तियों से है,

(ग) अगर सचिव, पुस्तकालय एवं अधीक्षक पुस्तकालय तथा शोध सन्दर्भ से तात्पर्य बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय के लिये नियुक्त अवर सचिव या अधीक्षक पुस्तकालय तथा शोध सन्दर्भ से है अथवा जो पुस्तकालय शोध सन्दर्भ का कार्य अवर सचिव की अनुपस्थिति में करते हों।

(घ) "पुस्तक" में पुस्तक, प्रतिवेदन, गजट, पत्रिका या अन्य प्रकाशन सम्मिलित है।

(ङ) "सन्दर्भ ग्रन्थ (रेफरेन्स बुक) का तात्पर्य किसी ऐसी पुस्तक या पुस्तक संग्रह से है जो अपने विषयों के महत्व की दृष्टि से सचिव की सम्मति में पुस्तकालय के बाहर जाने योग्य न हो,

व्याख्या—विश्वकोश, शब्दकोश, अर्थकोश (इयर बुक) मानचित्र (एटलस) पत्र-पत्रिकाएँ, कला और चित्रकला संबंधी पुस्तकें एवं अन्य सचिव पुस्तकें, जो ग्रन्थ कई भागों या खण्डों में प्रकाशित हों तथा सामान्य सन्दर्भ (रेफरेन्स बुक) और दुर्लभ ग्रन्थ पुस्तकालय तथा सदन में उपयोग किये जायेंगे किसी भी शर्त पर वही पुस्तकें आवास के लिये निर्गत नहीं की जायेंगी।

(च) शोध सहायक से तात्पर्य बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय के लिये नियुक्त शोध सहायक से है जो शोध सन्दर्भ-सेवा का कार्य करता हो,

3. अवर सचिव पुस्तकालय, अधीक्षक पुस्तकालय, प्रशाखा पदाधिकारी (पुस्तकालय); शोध सहायक, सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा सूचीकार कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में सदस्यों की सहायता करेंगे।

4. (क) सदस्य या राजपत्रित पदाधिकारी तथा स्थायी कर्मचारी, पुस्तक किसी सन्दर्भ-ग्रन्थ बुक) या (रेफरेंस विधि संहिता (लॉ कोड) को छोड़ ऐसी अवधि के लिये जो 15 दिन से अधिक का न हो, निर्गत करा सकते हैं, परन्तु सचिव, संयुक्त सचिव या पुस्तकालय के पदाधिकारी किसी पुस्तक को, जिसकी विशेष मांग हो, अवधि से पहले ही लौटाने की अपेक्षा कर सकते हैं।

(ख) पुस्तकों को दोबारा लिया जा सकता है, यदि ग्रन्थालय का उपयोग करनेवाले अन्य व्यक्तियों ने उन पुस्तकों की मांग न की हो। इस प्रयोजन के लिए पुस्तकों को भौतिक रूप से काउन्टर पर उपस्थापित करना अपेक्षित होगा और पुनर्निर्गम मात्र एक सप्ताह के लिए किया जा सकेगा।

(ग) जिन सदस्य (मंत्री सहित) के पास 30 दिनों से अधिक अवधि तक विधान-मंडल पुस्तकालय की कोई पुस्तक पड़ी हो, उन्हें कोई पुस्तक पुस्तकालय से निर्गत (ईशू) नहीं की जायगी। पुस्तक लौटाने के लिये 15 दिनों के अन्तरा पर तीन स्मार-पत्र पुस्तकालय द्वारा दिये जायेंगे। इस पर भी पुस्तक नहीं लौटाने पर उपाध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से पुस्तक लौटाने के लिये एक अर्द्ध-सरकारी पत्र दिया जायगा। फिर भी अगर पुस्तक नहीं लौटाई जाय तब संबंधित सदस्य वेतन से पुस्तकों के मूल्य की कटौती सभा सचिवालय तथा परिषद् सचिवालय द्वारा निम्नलिखित रूप में की जायगी एवं मंत्रियों के वेतन से कटौती वित्त विभाग द्वारा की जायगी।" कटौती की गई राशि पुस्तक क्रय करने के लिए पुस्तकाल को लौटा दी जायगी।

क्रम सं०।	प्रकाशन।	वमूल की जाने वाली राशि।
1	2	3
1	भारतीय पुस्तकप्रकाशन गत पाँच वर्ष में मुद्रित	मूल्य का डेढ़ गुना।
2	भारतीय पुस्तकप्रकाशन पाँच वर्ष से अधिक अवधि में।	मुद्रित मूल्य का दोगुना।
3	भारतीय पुस्तकप्रकाशन जो मुद्रणवाह्य हों ..	मूल्य का पाँच गुना।
4	विदेशी प्रकाशन गत पाँच वर्ष में मुद्रित ..	मूल्य का दोगुना।
5	विदेशी प्रकाशन पाँच वर्ष से अधिक अवधि में मुद्रित।	मूल्य का तिगुना।
6	विदेशी प्रकाशन, जो मुद्रणवाह्य हों ..	मूल्य का पाँच गुना।
7	भारतीय अथवा विदेशी प्रकाशन जिनका मूल्य मालूम न हो।	20 पैसे प्रति पृष्ठ।

परन्तु यदि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार पुस्तकप्रकाशन का वास्तविक मूल्य लागत से अधिक हो तो सदस्य उतना मूल्य लिया जाएगा जितने में दूसरी पुस्तक खरीदी जाय।

(घ) कोई सदस्य या विधान-गंडल के पदाधिकारी अपने पास एक समय तीन से अधिक पुस्तकें, बिहार विधान-गंडल के भूतपूर्व सदस्य एवं मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता को दो पुस्तकें तथा स्थायी कर्मचारी एक से अधिक पुस्तक, नहीं रख सकेंगे परन्तु कोई सदस्य परिषद् या सभी की बैठकों में संचालित कार्य के संबंध में अपेक्षित सन्दर्भ-ग्रन्थ (रेफरेन्स बुक) याचना-पत्र पर निर्गत करा सकते हैं, उपर्युक्त यह है कि बैठक समाप्त होने के बाद अनिवाय रूप से उसी दिन वे ग्रन्थ पुस्तकालय में लाटा दिया जाये।

(ङ) पुस्तक निर्गत कराने के लिये एक मांग पुस्तिका (परिशिष्ट 1) पुस्तकालय में रहेगी तथा पुस्तक प्राप्त करने के लिये सदस्यों/राज्यपत्रित पदाधिकारियों तथा स्थायी कर्मचारियों को मांग पुस्तिका में हस्ताक्षर करना पड़ेगा।

5. (1) पुस्तकालय में एक मुलाव पंजी रहेंगी जिसमें सदस्यों द्वारा दिया गया मुलावों की आर पुस्तकालय के पदाधिकारी समय-समय पर सचिव या संयुक्त सचिव का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) पुस्तकालय पुस्तकें लेने वालों के अधिकार में रहने पर यदि पुस्तकें विकृत हो गई हों या पार्श्व में लिखित या रेखांकित पर विकृत की गई हों या किसी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाया गया हो तो इन सब अवस्थाओं की जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति को आदान-प्रदान टैगल से सम्बन्धित कर्मचारी करा देंगे तथा इनकी सूचना पुस्तकालय के पदाधिकारी उसी दिन सचिव या संयुक्त सचिव को दे देंगे।

(3) जो पुस्तकालय पुस्तकें लाटाई न गई हों या विकृत की गई हों या खो गई हों, ऐसी अवस्था में, जो इसके लिये उत्तरदायी हों उभक्त संबंध में उचित सूचना देने के बाद सचिव के आदेश से पुस्तकालय पुस्तकों का मूल्य [नियम 4 (ग) के अनुसार] लिया जायेगा,

6। किसी भी अनजान व्यक्ति को पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जबतक की वह विधान-गंडल के किसी सदस्य अथवा अधिकारी के साथ न आये।

(7) एक संयुक्त पुस्तकालय समिति या संयुक्त पुस्तकालय उप-समिति या समितियां होंगी जिन्हें बिहार विधान-परिषद् और बिहार विधान-सभा के क्रमशः सभापति और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कुछ सदस्य रहेंगे। यह समिति या उप-समितियां पुस्तक चयन तथा पुस्तकालय के सामान्य प्रबंध के सम्बन्ध में एक परामर्शदातृ समिति के रूप में कार्य करेंगी।

8। किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में पुस्तक क्रय की शीघ्रता से बचने के लिये पुस्तकों का क्रय तथा क्रय मूल्यों भर किया जायेगा।

(9) किसी सदस्य को वाचनालय में पढ़ने के उद्देश्य से दी गई पुस्तकों/पुस्तकें पुस्तकालय से बाहर नहीं जानी चाहिये। वाचनालय को छोड़ने के पहले पुस्तक/पुस्तकों को पुस्तकालय में लौटा देना होगा। जबतक ऐसा नहीं किया जाता तबतक पुस्तक लेने वाले उन पुस्तकों के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि कोई सदस्य वाचनालय से बाहर अपने उपयोग के लिये किसी पुस्तक को निर्गंत कराना आवश्यक समझे तो नियम 4 (घ) के अनुसार ही निर्गंत करा सकेंगे।

(10) मंत्रियों/सदस्यों/राजपत्रित पदाधिकारियों तथा स्थायी कर्मचारियों के अन्तिम वेतन का भुगतान बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय से मांग रहित मांग सहित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् ही किया जायगा।

(11) यदि कोई सदस्य ग्रन्थालय में स्वयं आगे में समर्थ न हों, तो वे पुस्तकें, अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से गंगलवा सकेंगे परन्तु इसके लिये उन्हें एक प्राधिकार पत्र देना होगा। सदस्य पुस्तकों की सुरक्षा तथा उसकी वापसी के लिये स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(12) जिस किसी सदस्य को किसी ऐसी पुस्तक या अन्य प्रकाशन की आवश्यकता हो जो किसी अन्य व्यक्ति को दी जा चुकी है तो वे निर्गंत टैगुल (ईशू काउंटर) पर अपने लिये उसे आरक्षित करा सकेंगे, और ऐसी पुस्तक तथा प्रकाशन सदस्यों को मांग के वरीयता-क्रम के अनुसार दिया जायेगा।

(13) प्रत्येक तीन वर्ष पर बजट सत्र के बाद पुस्तकों का स्टॉक टैकिंग किया जायगा तथा उस अवधि में पुस्तकें निर्गंत नहीं की जायेंगी।

(14) पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुस्तकालय के कर्मचारियों पर रहेगी।

परिशिष्ट-1।

बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय से पुस्तक लेने की पुस्तिका का प्रारूप

क्रम संख्या.....

सदस्य का नाम.....

क्षेत्र.....

दल.....

अवधि

सदस्य का हस्ताक्षर

पुस्तकालययाध्यक्ष, बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय, पटना ।

क्रम संख्या

पुस्तक देने की तिथि

लेखक का नाम

पुस्तक का नाम

जमा पंजी की संख्या

सदस्य का हस्ताक्षर

पुस्तक लौटाने की तिथि

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

अन्य सूचना

अधीक्षक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण), 357—लाईनो—476—1000—अ० कुमार